न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।
परिवाद पत्र संख्या :—380/2022
आदेश

16.06.2023 परिवादिनी किरण देवी की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि परिवादिनी ने अभियुक्तगण चानो देवी, जीतन यादव, संजय यादव, लालू यादव, विकास यादव, पिन्टू यादव, गोरी देवी एवं सुदर्शन यादव के विरूद्ध परिवाद पत्र लाया है। परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पर बयान के अतिरिक्त दो जॉच साक्षी 1. ओम प्रकाश कुमार एवं 2. धनंजय कुमार यादव का जॉच परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया है । परिवाद पत्र, परिवादिनी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन से परिवाद पत्र में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण में से अभियुक्त 1 संजय यादव, 2. लालू यादव, 3. विकास यादव एवं 4. पिन्टू यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 एवं 506 भा0द0सं0 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है । अन्य अभियुक्तगण एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त अभियुक्त 1 संजय यादव, 2. लालू यादव, 3. विकास यादव एवं 4. पिन्टू यादव के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है तथा उन्हें विचारण हेतु आहुत किया जाता है ।

परिवादिनी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ दिनांकः—15—07—2023 वास्ते दाखिल करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।